फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 293 प्रभात जयपुर, बुधवार 27 मई, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

What an amazing story...

Each tulip represents a debt paid not in currency but in beauty. Each bloom is a reminder that some nations don't forget. Some gratitude doesn't fade with time

Beasts With A Temper

Of Resistance, Unity And Determination

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा फिर अधर में लटका?

कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें खारिज करने की कोशिश की और कहा, मीटिंग में राज्यसभा चुनाव पर चर्चा हुई

- सिद्धारमैया को दिल्ली तलब करने के बाद से कर्नाटक के राजनैतिक हलकों में नेतृत्व परिवर्तन और डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई थीं।
- लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात से इन्कार कर दिया, पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों में सच्चाई नहीं है।
- कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि दिल्ली में उच्च स्तरीय मीटिंग राज्यसभा की सीटों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी।
- ज्ञातव्य है कि कर्नाटक में लम्बे समय से सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर तनाव चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने डी के शिवकुमार से वादा किया था कि ढाई साल के बाद सिद्धारमैया की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पर ढाई साल हो चुके हैं और इस दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं हुई है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के लिए चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाने का प्रयास किया और कहा कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

कांग्रेस ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी की उच्चस्तरीय बैठक में केवल राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर चर्चा हुई।

कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने महा मीटिंग राज्यसभा चुनावों पर चर्चा के लिए थी और यही बात कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी कहीं।

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही लगातार अटकलों के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पद में किसी बदलाव की कोई बात नहीं है। पार्टी ने कहा कि उच्चस्तरीय बैठक का फोकस केवल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीएनजी की कीमत दो रुपये बढ़ी

नई दिल्ली, 26 मई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के ठीक एक दिन बाद आज सीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया है। आज से सीएनजी की दर 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है। 15 मई के बाद यह चौथी बढ़ोतरी है। इस बदलाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

- गत 15 मई के बाद सीएनजी की कीमत में यह चौथी वृद्धि है।

इससे पहले, सीएनजी की कीमत में 15 मई को 2 रुपये, 18 मई को 1 रुपया, और 23 मई को 1 रुपया की बढ़ोतरी की गई थई। इसका असर सबसे अधिक दिल्ली-एनसीआर में देखने को मिल सकता है। यहां ऑटो, टैक्सी, स्कूल वैन और प्राइवेट कारों में सीएनजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि से परिवहन लागत और घरेलू बजट पर दबाव बढ़ ने की आशंका है।

बंगाल में 5 रूपए के भोजन में मछली और अंडा भी मिलेगा

भाजपा सरकार ने तृणमूल के इस आरोप को गलत साबित कर दिया कि भाजपा बंगालियों को मछली खाने से रोक देगी

- ऐसा लग रहा है, भाजपा ने भविष्य के सभी चुनाव जीतने की रणनीति पर चलना शुरु कर दिया है।
- प्रदेश सरकार ने अवैध घुसपैठियों के होल्डिंग सैंटर्स बनाने के साथ ही उनकी धरपकड़ शुरु कर दी ताकि उन सभी के वापस बांग्लादेश भेजा जा सके।
- मु.मंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने कहा, सरकार की नीति है, पहचान करो, नाम हटाओ और देश से बाहर भेजो, इस पर काम शुरु हो चुका है।
- स्थिति यह है कि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ही बोरिया बिस्तर बाँधकर वापस जाने की तैयारी करने लगे हैं और सीमा चौकियों पर पहुँच रहे हैं।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता के बाद, यह कहा जा सकता है कि बंगाल भाजपा ने पांच साल बाद होने वाले अगले चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है।

तृणमूल कांग्रेस के इस आरोप को खारिज करते हुए कि सत्ता में आने के बाद भाजप बंगालियों को मछली खाने से रोक देगी, नए मुख्यमंत्री ने आज राज्य में मछली वाले भोजन की घोषणा की।

मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य की एक योजना के तहत मिलने वाले 5 रुपये के भोजन में अब मछली और अंडे भी शामिल किए जाएंगे। इससे बंगालियों और भाजपा के बीच एक नई तरह की पहचान और जुड़ाव बनेगा।

कई अन्य कदमों और नीतिगत बयानों के बीच, मुख्यमंत्री ने राज्य में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा का रुख भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में हो रही अवैध घुसपैठ अब राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बन चुकी है।

इन घुसपैठियों ने अवैध तरीके से आधार कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट भी हासिल कर लिए हैं और खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पेश करने की कोशिश की है। ये अवैध घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, क्योंकि बाद में इनमें से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।

मुख्यमंत्री बांग्लादेश से आए घुसपैठियों से निपटने के लिए कड़े कदमों वाले एक पैकेज की बात कर रहे थे। सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्र सरकार ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी कमेटी बनाई

सीमावर्ती राज्यों में बढ़ती घुसपैठ व आबादी में अचानक आए बदलाव के पैटर्न के अध्ययन पर फोकस किया जाएगा

- विशेषज्ञों ने कहा, इस घोषणा से संकेत मिलता है कि भाजपा घुसपैठ और आबादी में अचानक आए बदलाव के मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखना चाहती है।
- असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कमेटी के गठन का स्वागत किया और डेमोग्राफिक बदलाव को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान व सामाजिक संतुलन के लिए खतरा बताया।
- कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश प्रभाकर नाओलकर होंगे। ज्ञातव्य है कि 25 अगस्त को लाल किले से भाषण में प्र.मंत्री मोदी ने कमेटी गठन की बात कही थी और सितम्बर में इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी थी।

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली 26 मई। सीमावर्ती राज्यों में अचानक हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव के मुद्दे की जांच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना इस बात का संकेत है कि भाजपा अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लगातार राजनीतिक रूप से ज्वलंत बनाए रखना चाहती है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के तुरंत बाद, नए मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने राज्य के सभी 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी, ताकि अवैध प्रवासियों, विशेषकर बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं, को हिरासत में लेकर निर्वासित किया जा सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी समिति गठन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति के लिए खतरा हैं।

सरमा ने सोशल मीडिया मंच एक्स

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री सतीशन की प्रधानमंत्री से मुलाकात

नई दिल्ली, 26 मई। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि केरल के मुख्यमंत्री सतीशन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।

- उन्होंने राज्य के विकास के लिए केन्द्र सरकार के हरसंभव सहयोग व समर्थन का आग्रह किया।

वहीं, मुख्यमंत्री सतीशन ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से केरल से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य के भविष्य के विकास के लिए केन्द्र सरकार से हर संभव सहयोग और समर्थन का आग्रह किया।

'5 जून को कोई एक्शन नहीं होगा, हमें पहले नोटिस देना होगा'

दिल्ली जिमखाना क्लब परिसर खाली कराने के मामले में केन्द्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया

- केन्द्र सरकार के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना एविक्शन नोटिस पर कोई अंतरिम निर्देश देने से इन्कार कर दिया।
- हालांकि, जिमखाना की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सरकार ने शो कॉज़ नोटिस नहीं सीधे "डायरैक्टिव" भेजा था।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली 26 मई। दिल्ली जिमखाना क्लब के लिए राहत भरे घटनाक्रम के रूप में, केन्द्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि क्लब की जमीन का कब्जा बलपूर्वक नहीं लिया जाएगा और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

केन्द्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में कहा, ऐसा नहीं है कि 5 जून को पुलिस आकर जमीन का कब्जा ले लेगी। हम यह काम उचित प्रक्रिया के तहत करेंगे।

केन्द्र सरकार ने पिछले सप्ताह इस प्रतिष्ठित क्लब को बेदखली का नोटिस जारी करते हुए लुटियंस दिल्ली के केन्द्र में स्थित 27 एकड़ की इस महत्वपूर्ण संपत्ति को वापस लेने की कार्रवाई शुरू की थी। सरकार ने 113 वर्ष पुराने इस क्लब की लीज़ शर्तों की एक धारा का हवाला देते हुए कहा कि यह भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है। केन्द्र ने क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने को कहा था।

जब अदालत ने पूछा कि क्या 5 जून को कोई कार्रवाई की जाएगी, तो केन्द्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया। मेहता ने अदालत से कहा, "5 जून को कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हमें पहले नोटिस देना होगा"।

मेहता ने अदालत से कहा, "सरकार वैकल्पिक स्थान की पेशकश कर सकती है। हमने उन्हें स्वयं परिसर खाली करने का विकल्प दिया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अचानक पहुंचकर जबरन कब्जा ले लेगी"।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल के बयान को देखते हुए किसी अतिरिक्त अंतरिम निर्देश की आवश्यकता नहीं है। आदेश में कहा गया, बयान का आशय यह है कि क्लब को कानून के अनुसार और पूर्व सूचना देकर ही बेदखल किया जाएगा।

दिल्ली जिमखाना क्लब ने केन्द्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 5 जून तक जमीन सौंपने को कहा गया था। क्लब की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि केन्द्र ने कारण बताओ नोटिस नहीं, बल्कि सीधा निर्देश जारी किया है।

सॉलिसिटर जनरल के बयान को मद्देनज़र रखते हुये, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, भूमि एवं विकास कार्यालय ने क्लब को 5 जून तक अपना 27.3 एकड़ का परिसर सौंपने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि यह भूमि "तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, प्रशासनिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बकरीद से पहले गौहत्या पर रोक की सुनवाई नहीं - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 26 मई। उच्चतम न्यायालय ने बकरीद के ठीक पहले गो-हत्या पर रोक लगाने और गो-हत्या रोकने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि क्या आप बकरीद से ठीक एक दिन पहले प्रचार पाने के लिए आए हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा बकरीद से एक दिन पहले क्या आप प्रचार पाने के लिए आए हैं।

याचिका अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर की है। याचिका में गाय और बछड़ों को वध से बचाने के लिए गोहत्या विरोधी कानूनों को लागू करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सरकारी डॉक्टर, जो "प्राइवेट प्रैक्टिस" नहीं करते उन्हें अतिरिक्त वेतन देने का नियम सही'

हाईकोर्ट ने कहा, वरिष्ठ डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने का विकल्प अपनाते हैं, वे सरकार से कम वेतन मिलने के भेदभाव का आरोप नहीं लगा सकते

- हाईकोर्ट ने कहा कि "नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस" दिये जाने का नियम स्पष्ट है और यह सभी डॉक्टरों को उपलब्ध होता है। अदालत ने कहा कि यह नियम एक तर्कसंगत वर्गीकरण करता है और इसलिए यह कानून के खिलाफ नहीं है।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर 26 मई। राजस्थान हाई कोर्ट ने 35 सम्बन्धित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वे सरकारी डॉक्टर जो "प्राइवेट प्रैक्टिस" करते हैं और वे जो नहीं करते, उनके वेतन में मेल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जो सरकारी डॉक्टर "प्राइवेट प्रैक्टिस" करने विकल्प नहीं लेते हैं, उन्हे राज्य सरकार "नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउन्स" वेतन में जोड़ कर देती है इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे "सीनियर" डॉक्टर भी यह तर्क नहीं दे सकते कि उन्हें सरकार से उनके कनिष्ठ पद पर काम कर रहे डॉक्टरों से भी कम वेतन मिल रहा है। अदालत ने यह फैसला 35 सम्बन्धित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया और इसके साथ ही राजस्थान सिविल सर्विसेस अपीलेट ट्रिब्यूनल (रेट) के इसी मामले पर दिए फैसले को खारिज कर दिया। न्यायाधीश आनन्द शर्मा की एकल पीठ ने यह फैसला दिनेश कुमार शर्मा व अन्य याचिकाओं को सुनवाई करते हुए दिए। मामले में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता अर्चित बोहरा पैरवी के लिए पेश हुए थे।

दरअसल इस मामले में राज्य सरकार व प्राइवेट पार्टियों द्वारा दायर कई अपीलों व याचिकाओं को एक साथ सुना गया। मामले को सरल रखने के लिए अदालत ने राज्य सरकार बनाम दिनेश कुमार शर्मा की याचिका को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया। इस मामले में दिनेश कुमार ने 'रेट' के समक्ष गुहार की थी कि 2017 में राज्य कर्मचारियों के लिए लागू करे गये पे-स्केल का गलत उपयोग किया जा रहा है। उनका कहना था कि राज्य सरकार उनसे कनिष्ठ डॉक्टरों को "नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउन्स" (एन.पी.ए.) लगाकर उनसे भी अधिक वेतन दे रही है।

दिनेश कुमार का कहना था कि एन.पी.ए. वेतन नहीं होता केवल एक अतिरिक्त छूट होती है जिसको राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन में हर महीने जोड़ कर नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि एन.पी.ए. जोड़े जाने की वजह से ही उनके कनिष्ठ डॉक्टर उनसे अधिक वेतन ले रहे थे। उन्होंने अदालत से गुहार करी थी कि या तो वरिष्ठ डाक्टरों का पे-स्केल बदला जाए या उन्हें एन.पी.ए. लेने के लिए कोई दूसरा विकल्प दिया जाए।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एन.पी.ए. पहली दफा 1989 में लागू किया गया था। और उसके नियमों को समय-समय पर संशोधित किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि 2008 में वित्त विभाग द्वारा जारी करे गये नियमों में ही एन.पी.ए. को 'पे' (वेतन) के तरह परिभाषित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि 2013 में एन.पी.ए. राजस्थान मेडिकल कॉलेज की टीचिंग स्टाफ व मेडिकल ऑफिसर पर भी लागू कर दिया गया था। अदालत बताया गया है कि एन.पी.ए. 'बेसिक' वेतन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन दिये जाने का प्रावधान है।

राज्य सरकार ने बताया कि यह अतिरिक्त वेतन केवल उन डॉक्टरों को दिया जाता है जो यह विकल्प अपनाते है कि वह आने वाले वित्तीय वर्ष में प्राईवेट प्रेक्टिस नहीं करेंगे। अदालत को यह भी बताया गया कि जो डॉक्टर एन.पी.ए. का विकल्प लेते हैं उन्हें शपथ पत्र पेश करना होता है।

अदालत में यह भी बताया गया कि एन.पी.ए. का फायदा लेने के लिए भी डॉक्टरों के पास एक निर्धारित समय सीमा होती है जिसके बाद वह यह फायदा नहीं ले सकते। सभी तथ्यों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि एन.पी.ए. के तहत दिये जाने वाला अतिरिक्त वेतन का प्रावधान एक विवेकपूर्ण फैसला है, और विवेकसंगत वर्गीकरण करता है। यह केवल तभी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अन्नाद्रमुक के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया, टीवीके में शामिल

चेन्नई, 26 मई। तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) को मंगलवार को एक और बड़ा झटका लगा, जब अंबासमुद्रम विधानसभा क्षेत्र के विधायक एसाकी सुब्बैया ने अपने पद से इस्तीफा देकर तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके इस कदम के बाद राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

- लगातार हो रहे इस्तीफों से अन्नाद्रमुक के भीतर असंतोष व बेचैनी बढ़ रही है।

इससे पहले भी अन्नाद्रमुक से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। पेरुंदुरई विधायक जयकुमार, मदुरांतकम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)